ACE/NO/Gen/26-27/107 3/11/2026

Aishwarya College (AUTONOMOUS)

Affiliated to Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Accredited with 'A' Grade by NAAC, Approved by UGC U/s 2(f) & 12(B)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग छात्रवृति 2026-27

आवेदन करने की अन्तिम तिथि -: 31 दिसम्बर 2026

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग/, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय तथा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **31.12.2026** तक ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करे।

Site :- www.sjmsnew. rajasthan.gov.in/scholarship

विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है:-

1. आय सीमा:-

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति. पिछडा वर्ग (MBC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT), मिरासी एवं भिश्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. आवेदन प्रक्रिया:-

विभागीय छात्रवृति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाईट https://scholarships.gov.in अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना होगा। OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है।

विद्यार्थी ई-मित्र/साइबर कैफे या स्वयं की एस.एस.ओ. आई. डी. के माध्यम से Biometric Authentication अथवा Face Authentication उपरान्त ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच विद्यार्थी स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।

3. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वंय की ही दें।

4. दस्तावेज:-

उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज / सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा। सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई-वॉल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

5. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना एवं आय विवरण में परिवर्तन:-

नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

6. जनाधार आईडी तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी।

7. विद्यार्थी का बैंक विवरण:-

विद्यार्थी का बैंक खाता **आधार सीडेड एवं DBT-enabled** होना अनिवार्य है (यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है, कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवायें), KYC पूर्ण होना, ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बन्द न हो एवं बैंक खाता माईनर न हो।

9. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन

आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान / पाठ्यक्रम / योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति

विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा

यह सभी सूचनाऐं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की गई है।
महाविद्यालय का छात्रवृति बाबत् किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस हेतु विद्यार्थी अपने ऑनलाईन स्टेटस नियमित रूप से चैक करते रहे।

प्राचार्य